न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/1748/2003/भरतपुर

निरोजी पुत्री खिरू पत्नि फज्जर जाति मेव निवासी ग्राम हाजीपुर तहसील पुन्हाना जिला गुडगांव, हरियाणा।

.....**अपीलार्थी/वादिनी**

बनाम

1. सफेदी बेवा रहमत
2. इलियास
3. उमर
4. हारून
5. तइयब

   –पिसरान रहमत जाति मेव निवासीगण वामनी तहसील कामां जिला भरतपुर।
6. फिरोजी पुत्री खिरू पत्नि रूस्तम जाति मेव निवासी हाजीपुर तहसील पुन्हाना जिला गुडगांव, हरियाणा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार।

.....**प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण**

खण्ड पीठ

श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष

श्री सूरज भान जैमन, सदस्य

उपस्थितः–

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अपीलार्थी

श्री पुष्पेन्द्र चौधरी व श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 03 अप्रेल, 2019

हस्तगत् द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील सं. 256/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–02–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं सहायक जिला कलक्टर कामां के समक्ष अपीलार्थी/वादिनी ने वाके ग्राम बामनी तहसील कामां स्थित वादपत्र में उल्लेखित विवादित आराजियात कुल किता 43 कल रकबा 11–40 हैक्टर भूमि के संबंध में एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88, 89, 53, 54 रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद पत्र के कथनों को अस्वीकार किया। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 6 फिरोजी ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकन किया कि राजस्व रेकार्ड में हो रहे गलत इन्द्राज विवादित आराजी के बाबत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम को कलमजन किये जावे व मुझ प्रतिवादी के नाम व वादी के नाम बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें। प्रतिवादी संख्या 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही संस्थित करते हुए विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर दादरसी सहित 3 तनकीयात कायम करते हुए प्रत्येक तनकी को विवेचित कर वादिनी के वाद को निर्णय दिनांक 05–08–2002 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14–02–2003 द्वारा खारिज करते हुए तहत न्यायालय का निर्णय यथावत रख दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी/वादिनी ने यह हस्तगत द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की हैं

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/वादिनी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट के सजरा खानदान का

उल्लेख कर तर्क दिया कि अपीलान्ट निरोजी और रेस्पोडेन्ट संख्या 6 फिरोजी दोनों ही खिरू की जायन्दा पुत्रियां है, जिसे तनकी संख्या 1 के जरिये पूर्णतया प्रमाणित किया था। फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य को सिद्ध नहीं माना है। ऐसी स्थिति में उनको चाहिए था कि प्रकरण सिविल न्यायालय को अधिकारों को तय करने के लिए भेज दे। राजस्व अपील प्राधिकारी ने भी परीक्षण न्यायालय के मत को यथावत रखते हुए उसे पुष्ट कर निर्णय पारित करने में भूल की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधि विरूद्ध निर्णय को अपास्त कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाए और सिविल न्यायालय से तनकी संख्या 1 का निर्णय पारित होने के बाद अन्य तनकियों पर परीक्षण कर निर्णय पारित किया जाए। प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 206 व 207 के प्रावधानों का उल्लेख किया।

5. बहस के जवाब में रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि खिरू लाऔलाद फौत हुआ है एवं अपीलान्ट/वादिनी को परीक्षण न्यायालय के समक्ष ही प्रतिपादित करना था कि वह व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 खिरू की जायन्दा लडकी है। परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी/अपीलान्ट द्वारा गवाहान के बयानों पर गौर व विश्लेषण करने के बाद ही यह निर्णय पारित किया है कि तनकी संख्या 1 को वादी/अपीलान्ट सिद्ध नहीं कर सकी है तथा विचारण न्यायालय को यह पूर्ण अधिकार है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए धारा 88 की विषयवस्तु के दावे में उत्तराधिकार विरासत जायन्दा औलाद होने संबंधी तनकियों का निर्धारण व निस्तारण भी विचारण न्यायालय द्वारा किया जाए। यदि इस मामले में वादी को किसी प्रकार की आवश्यकता थी तो वह स्वयं सिविल न्यायालय से उत्तराधिकार तय करने के लिए स्वतंत्र थी। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाए।

6. रिबटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि विचारण एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा गवाहान के बयानात, वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर बिना गौर किए तथ्य व कानून के विपरीत निर्णय पारित किया है, इसलिए अपील स्वीकार की जावें।

7. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बारीकी से मूल्यांकन किया।

8. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन से परिलक्षित होता है कि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी/वादिनी के द्वारा स्वयं व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 को खिरू की जायन्दा पुत्री होने का कथन करते हुए दावा प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा खिरू के लाबल्द बिला औरत फौत होना जवाबदावे में अंकन किया था। इस संबंध में कायम की गयी तनकी संख्या 1 निम्न प्रकार से हैः–

> **"आया वादिनी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 मृतक खिरू की पुत्रियां है और बहैसियत वारिस खिरू आराजी मुतदाविया पर 1/2 हिस्सा काबिज है तथा अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारिणी है"।**

9. उक्त तनकी पर विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा नामांतरकरण संख्या 108 दिनांक 03–11–1954 को निश्चयाक प्रमाण (exclusive proof) मानते हुए यह finding दी है कि खिरू लावल्द व बिला औरत फोत हुआ है। अपीलार्थी/वादिनी व रेस्पोडेंट संख्या–6 को खिरू की पुत्री होना नहीं माना। दूसरा कारण यह माना है कि निरोजी व फिरोजी के पतियों के नाम दावा में वोटर–लिस्ट से भिन्न हैं और तीसरा कारण यह माना है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाहान वादिनी, रेस्पोडेंट संख्या–6 की भूमियों की जानकारी ही नहीं रखते हैं इसलिए वह विश्वसनीय है।

10. तनकी नंबर–1 से संबंधित उक्त तीन बिन्दु पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने भी अपना यही निष्कर्ष दिया है और उन्होंने यह भी अंकित किया है कि वादिनी व रेस्पोडेंट संख्या–6 द्वारा प्रस्तुत किया गया जागा की बही एग्जीबिट नहीं कराया है।

11. हमने परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध गवाहान के बयानात एवं एग्जीबिट–3 नामांतरकरण संख्या 108 दिनांक 03–11–1954 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया है कि इस नामांतरकरण के कॉलम नंबर–16 में न केवल खिरू को लाऔलाद और बिला औरत फोत होना अंकित है। इसी कॉलम में उक्त अंकन के नीचे दूसरा अंकन भी है जिसके अनुसार दाखिल खारिज नंबर यानि नामांतरकरण संख्या 108 दिनांक 03–11–1954 से संबंधित

मुतबफी खिरू के बारे में गूजरी नाम की महिला का निकाह तस्लीम नहीं होने का उल्लेख है। दूसरी तरफ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वादिनी/अपीलार्थी निरोजी से प्रतिवादी/रेस्पोर्डेट के वकील ने जिरह में यह प्रश्न किया था कि क्या खिरू के एक पत्नि गूजरी और थी जिसका जवाब निरोजी ने निम्न प्रकार दिया था :–

''यह गलत बात है कि खिरू के पत्नि गूजरी और थी।''

12. प्रतिवादी/रेस्पोर्डेट के वकील द्वारा किये गये उक्त प्रश्न का आशय यह है कि खिरू की एक से अधिक पत्नियां थी। वादिनी और रेस्पोर्डेट नंबर–6 खिरू की तीन पत्नियां होना कहकर आयी थी और प्रतिवादीगण ने इस तथ्यों को इन्कार किया था। नामांतरकरण संख्या–108 के विषय में यह प्रश्न जीवित हो जाता है कि खिरू का बिना पत्नि (unmarried) के फोत होने का यह नामांतरकरण exclusive proof माना जा सकता है या नहीं ? द्वितीयतः यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी/वादिनी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष फर्द दस्तावेज के साथ दिनांक 20–03–2001 को **जागा की बही** प्रस्तुत की थी। दिनांक 20–03–2001 को ही तनकी नंबर–1 में संशोधन होकर पुनः विरचित हुई थी और दिनांक 23–4–2001 को अपीलार्थी/वादिनी के बयान हुए थे परन्तु **जागा की बही** को प्रदर्श नहीं कराया गया, जो या तो इस बही को बनाने वाले बनवारी जागा से या वादिनी से प्रदर्श कराया जाता। तृतीयतः अपीलार्थी/वादिनी ने अपने बयानों में खिरू के तीन पत्नियां क्रमशः–एक की मृत्यु के बाद दूसरी और दूसरी की मृत्यु के बाद तीसरी होने का बयान जिरह के दौरान भी देकर यह व्यक्त किया था कि खिरू की प्रथम पत्नि बोदनी, दूसरी अनमा और तीसरी हसनी थी और यह दोनों लड़कियां हसनबी की होना बताया गया है। रेस्पोर्डेट के गवाहान द्वारा उनके बयानात, या प्रतिवादीगण द्वारा उनके जवाबदावे में यह आक्षेप नहीं लगाया है कि यह दोनों लड़कियां खिरू के नहीं थी (बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की थी)। तीसरे बिन्दु में यह भी स्पष्ट है कि वादिनी/अपीलार्थी के गवाहान पी.डब्ल्यू–2, पी.डब्ल्यू–3 द्वारा विवादित कृषि भूमियों की जानकारी बयानों में नहीं देने का बिन्दु महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि क्योंकि तनकी नंबर–1 और दावे में मुख्य मुद्दा खिरू की वारिस का था इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा साक्ष्य का गहनता से समग्र मूल्यांकन नहीं किया जाकर आंशिक और तथ्य विपरीत मूल्यांकन होना प्रतीत होता है।

13. जहां तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 207 व 206 के बारे में दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को का प्रश्न है, से स्पष्ट है कि धारा 206 राजस्व न्यायालय को इस बात को सक्षम नहीं बनाती है कि राजस्व वाद में विरासत का मामला/ उत्तराधिकारी का मामला भी उनके द्वारा तय किये जाने की सक्षमता होती हे। यह प्रकरण धारा 206 के प्रावधानों की परिधि से परे हैं और धारा 207 के प्रावधान निम्न प्रकार हैं :-

> ''207. केवल राजस्व न्यायालय द्वारा संज्ञेय वाद और आवेदन -(1) तृतीय अनुसूची के विनर्दिष्ट प्रकार के सब वाद और आवेदन राजस्व न्यायालय द्वारा सुने और अवधारित किये जायेंगे।
>
> (2) राजस्व न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय, ऐसे किसी वाद या आवेदन का या ऐसे वाद हेतुक पर आधारित किसी वाद या आवेदन द्वारा अभिप्राप्त किया जा सकता है, संज्ञान नहीं करेगा।''

14. इसलिए स्पष्ट है कि इस मामले में अपीलार्थी व रेस्पार्डेट संख्या-6 को खिरू के उत्तराधिकारी होने की तनकी न तो सिविल न्यायालय से तय कराने की आवश्यकता थी और न ही राजस्व न्यायालय द्वारा इस प्रकरण को सिविल न्यायालय को भेजने की ही आवश्यकता थी।

15. चूंकि प्रस्तुत अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि मक्खन की थी और मक्खन के दो पुत्र खिरू और हुरमत नाम के थे, जो कि रेस्पोडेंट और अपीलार्थी दोनों द्वारा स्वीकार्य है और एक मात्र महत्वपूर्ण बिन्दु तनकी नंबर-1 में समाहित हैं कि खिरू लाऔलाद बिना पत्नि फौत हुआ है या नहीं एवं निरोजी एवं फिरोजी उस की पुत्रियां हैं या नहीं ? जिसका परीक्षण, अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा ही किया जाना था, जो कि साक्ष्य का सही तौर पर विश्लेक्षण नहीं होने के कारण ही संदेहास्पद findijng दी है और उन्होंने मात्र नामांतरकरण संख्या 108 दिनांक 03-11-1954 को exclusive proof मानते हुए अपना निर्णय पारित किया है, जो कि आंशिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय संधारणीय नहीं होने से अपील में उठाये गये आक्षेपात आंशिक स्वीकार योग्य है।

16. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14-02-2003 तथा उप जिला कलक्टर एवं सहायक जिला कलक्टर, कामां द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05-8-2002 खारिज किये जाते

है, साथ ही प्रकरण न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं सहायक कलक्टर, कामां को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनकर दुबारा नये सिरे से साक्ष्य लेकर जागा की बही को और इस संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजात को प्रस्तुत करने का मौका देकर अजसरेनौ निर्णय पारित करें। इस संबधं में यह भी उल्लेखित है कि चूंकि प्रकरण काफी पुराना है इसलिए दोनों पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं सहायक कलक्टर, कामां के समक्ष दिनांक 23–4–2019 को उपस्थित हो जावें तथा परीक्षण न्यायालय को भी निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां दिनांक 23–4–2019 से पूर्व लौटा दी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सूरज भान जैमन)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष